HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3601/2026

Hemendra S/o Shri Bherulal, Aged About 20 Years, Ro Jagriti School Ke Pass Eklavya Colony Ps Ambamata Udaipur Rajasthan Presently Lodged In Central Jail Udaipur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Moh. Rasheed
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/04/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना अंबामाता, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 126(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में चाकू की चोट प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मारना नहीं बताया गया है और कोई बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त से नहीं हुई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में बहस के दौरान यह तथ्य आया है कि चाकू सह–अभियुक्त गगन से बरामद हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। इस मामले में चाकू की बरामदगी सह–अभियुक्त गगन से होना केस डायरी से स्पष्ट है।

प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी होना इस मामले में नहीं पाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **हेमेन्द्र पुत्र भैरूलाल,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

89-GauravG/-